

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.1(2)न्याय/2008

जयपुर, दिनांक

22 SEP 2020

-:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)न्याय/2008 दिनांक 28.02.2019 के कॉलम संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार परिवर्तन करती है-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद	अरनोद उपखण्ड एवं पीपलखूंट उपखण्ड	अरनोद	प्रतापगढ

राज्यपाल के आदेश से

22.9.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली ।

22.9.2020

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)

संयुक्त शासन सचिव